न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला– अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 87/2022
जीसीएमएस आई डी : 2022/159

1. पूर्णराम पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल उम्र 66 वर्ष निवासी 27 ए तहसील अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़।

–:वादी

बनाम

1. अभिषेक पुत्र भंवरलाल जाति नायक उम्र 18 वर्ष निवासी वार्ड नं. 10 एफ.सी.आई. कॉलोनी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़।
2. चुन्नीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति नायक उम्र 46 वर्ष निवासी वार्ड नं. 10 एफ.सी.आई. कॉलोनी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़।
3. रवि कुमार पुत्र भंवरलाल जाति नायक उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नं. 10 एफ.सी.आई. कॉलोनी रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़।
4. नाथी बाई पुत्र भंवरलाल पत्नी राजेश कुमार जाति नायक उम्र 28 वर्ष निवासी किशनपुरा आबादी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. प्रेमराम पुत्र रूपाराम जाति नायक उम्र 44 वर्ष निवासी चक 57 जीबी तहसील व जिला अनूपगढ़।
6. मूमला पत्नी रूपाराम जाति नायक उम्र 68 वर्ष निवासी थाने के पास, गउशाला के सामने, रामसिंहपुर तहसील व जिला अनूपगढ़।
7. रूखमा पुत्री रूपाराम जाति नायक उम्र 45 वर्ष निवासी 22 एच घनजातिया तहसील केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।

–:प्रतिवादीगण

8. तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़।

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधि.</u>

उपस्थिति :–

1. श्री अनिल गक्खड़ अधिवक्ता वादी
2. श्री विनोद गोदारा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक :– 05.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी पूर्णराम पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल द्वारा वाके चक 19 ए–बी के मु.न.31 पं.न.313/445 के कि.न.1 ता 25 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर अनकमाण्ड कुल 6.325 हैक्टर अनकमाण्ड वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से सयुक्तं रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 158/6325 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का 158/6325 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 158/6325 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 158 /6325 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 का 632/6325 प्रतिवादी सं. 6 का 1898 /6325 हिस्सा व पतिवादी सं. 7 का 633/6325 हिस्सा सयुक्तं रूप से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी सलग्नं वाद पत्र है। चूकिं विवादित भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की मद सं. 2 में दिया गया है जो वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त कुल कृषि भूमि में वादी का सयुक्त रूप से 2/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त कृषि भूमि के हिस्सेदारान द्वारा उक्त कृषि भूमि के सम्बधं मे अपने अपने हिस्सा अनुसार एवं भूमि की किस्म खाला रास्ता आदि को मध्यनजर रखते हुऐ कब्जा अनुसार आपसी सहमति से एवं पारस्परिक तोर पर घरेलू खाता विभाजन कर लिया गया ताकि प्रत्येक काश्तकार को अपने अपने हिस्सा की भूमि काश्त करने व सिंचाई व उसके उपयोग उपभोग आदि में किसी प्रकार का कोई झगडा ना हो ओर ना ही किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो । वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा पारस्परिक घरेलू खाता विभाजन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुऐ पारस्परिक बटवारा के उपरांत वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 7 से कई बार कहा कि अपने सभी जने सहमत होकर तहसील मे चल कर अपने अपने हिस्सा अनुसार व कब्जा अनुसार एवं पारस्परिक वाहमी बटंवारा जिसका विवरण मद

सं. 3 में दिया गया के अनुसार ही भूमि का खाता विभाजन करवा लेवे ताकि प्रत्येक पक्ष अपने अपने हिस्सा की भूमि को अच्छी तरह काश्त कर सके ओर उसका उपयोग उपभोग कर सके तथा अपने अपने नाम से पानी की परची बधंवाकर अपने अपने हिस्सा की भूमि का मालकाना व आबयाना आदि खजाना राज में जमा करवावे ओर अपने अपने किलाजात की भूमि का हर तरह से उपयोग उपभोग कर सके जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई लडाई झगडा व विवाद भी नही होगा। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ता 7 हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। जिस पर बिलआखिरकार आज से अरसा सात रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 7 से तहसील मे चल कर कब्जा अनुसार तथा पारस्परिक तौर पर किये गये वाहमी बटंवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे बटवारा करवाने का कहा तो प्रतिवादी सं. 1 ता 7 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा स्पष्ट कहा कि उन्हे बटवारा की कोई जरूरत नही है वादी को जरूरत है तो वादी करवा सकता है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 7 की तरफ से अधिवक्ता श्री विनोद गोदारा ने उपस्थित होकर इकबालदावा प्रस्तुत हुआ। जबकि प्रतिवादी सं.–1 ता 06 समनों की सम्यक् रूप से तामिल/रजि. ए.डी. होने के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं हुये। फलतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में विवादित बिन्दू नही है तथा पत्रावली में अन्य कोई न्यायिक पक्ष शेष नही होने की स्थिति में वादीगण का यह वाद पत्र वादी की हद तक स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में न्यायालय के आदेश क्रमांक : रीडर/53–आर.टी.ए./2023/335 दिनांक : 13.12.2023 के द्वारा वाद पत्र में तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को संयुक्त खाते की भूमि चक 19 ए–बी के मु.नं. 31 प.नं. 313/445 की 6.325 है. भूमि का किलेवाईज अच्छी में से अच्छी खराब में से खराब भूमि का विभाजन पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के नकल जमाबंदी के साथ भिजवाने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार अनूपगढ़ के पत्रांकः रीडर/23/06 दिनांक 03.01.2024 के द्वारा प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

वकील पक्षकारान की वाद पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील वादीगण प्रकरण में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किया जाकर वाद पत्र डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। रिपोर्ट में पक्षकारान द्वारा खाता विभाजन पर प्रतिवादीगण सं. 05 प्रेम कुमार पुत्र रूपाराम द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अन्य पक्षकारान के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोट एवं प्रस्ताव अनुसार ही खाता विभाजन वादीगण की हद तक वाद स्वीकार किया जाना उचित हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी की हद तक स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि –

1. तहसीलदार अनूपगढ़ के पत्रांकः रीडर/23/06 दिनांक 03.01.2024 के द्वारा प्रेषित खाता विभाजन प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त खाता की विवादित भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदार/पक्षकार	खाता विभाजन में प्राप्त भूमि का विवरण
1	पूर्णराम पुत्र मेघाराम	चक 19 ए–बी मु.नं. 31 प.नं. 313/445 के कि.नं. 4 ता 7 का 1.012 हैक्टर, 14 ता 17 का 1.012 हैक्टर, 24 ता 25 का 0.506 हैक्टर इस प्रार कुल 2.530 हैक्टर अनकमाण्ड
2	अन्य शेष (प्रतिवादीगण सं.1 ता 7)	जमाबंदी अनुसार संयुक्त खाता में यथावत।

तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ऊपर वर्णित पूर्णराम की हद तक किला विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। डिक्री पर्चा मुरतीब हो।

निर्णय दिनांक **05.02.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़